



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ गिरोह बनाकर लूटपाट, चोरी तथा नकबजनी आदि की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग लीडर को थाना मटौंध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में गिरोह बनाकर चोरी, लूटपाट तथा नकबजनी आदि करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित गैंग लीडर को थाना मटौंध पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गैंग बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ लूटपाट, चोरी नकबजनी आदि की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त वांछित चल रहा था जिसे थाना मटौंध पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को केन नदी पुल से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अखिलेश पुत्र संतोष निवासी मर्वई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा। (गैंग लीडर)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त अखिलेश उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 181/25 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 182/25 305/317(2) बीएनएस कोतवाली देहात जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 200/25 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली देहात जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(बी)ि/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष मटौंध
2. कां0 अच्छेलाल